न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला अजमेर
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)
राजस्व वाद सख्या–72/2010

रामदेव उर्फ भालू पुत्र श्री सूरजमल जाति गुर्जर निवासी केसरपुरा ग्राम पंचायत बाडी तहसील मसूदा जिला अजमेर (राजस्थान)

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार बिजयनगर तहसील मसूदा जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मसूदा हाल बिजयनगर जिला अजमेर

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 22.02.2017

इस वाद पत्र में वादी ने साराशतः कथन किये है कि ग्राम केसरपुरा पटवार क्षेत्र खुंटिया भू0 अ0 नि0 क्षेत्र जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी ख0 न0 535 रक्बा 10–07–00 बीघा में वादी खुदकाश्त से खातेदार है लेकिन वादी का नाम राजस्व अभिलेख में उसके घरेलु नाम भालू से दर्ज कर दिया गया है जबकि उसका वास्तविक नाम रामदेव वल्द सूरजमल जाति गुर्जर है जो उसके राशनकार्ड, पहचान पत्र आदि सभी अभिलेखों में चला आता है जिसकी पुष्टी ग्राम पंचायत द्वारा भी अपने प्रमाण पत्र से कर दी है इसलिए वादी के नाम की राजस्व अभिलेख में खातेदारी इन्द्राज दुरस्ती कराते हुए प्रतिवादीगण को वादी की आराजी में दखलंदाजी से मुनादी करवाई जावे।

प्रतिवाद पत्र में प्रतिवादीगण ने कथन किये है कि विवादित आराजी भालू वल्द सूरजमल के नाम से ही आंवटित कर नामान्तकरण संख्या 83 से राजस्व अभिलेख में भालू के नाम का अमल किया गया था। अतः वाद स्वीकार योग्य नही सव्यय निरस्त फर्माया जावे।

प्रतिवाद पत्र पर 3 तनकी कायम कर शहादत पक्षकारान तलब की गई। शहादतवादी में स्वयं वादी रामदेव उर्फ भालू ने वाद कथनानुसार ही बयान शपथ पत्र पेश किया है जिसमें जमाबंदी प्रदर्श 1 ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 ग्राम के मोतबिरान द्वारा प्रदत शपथ पत्र क्रमश प्रदर्श 3 व 4 है।

स्वतंत्र गवाह कानाराम वल्द रामदेव उर्फ भालू व श्रवणलाल वल्द सोजीराम तथा गंभीरा वल्द गंगाराम एवं श्रीमती सायरी पत्नि सोजीराम सभी जाति गूजरान ने वाद पत्र के कथनों की ताईद अपने अपने शपथ पत्रों में की है। बहस वकील वादी एवं पैरोकार प्रतिवादीगण सुनी गई उनके तर्क वितर्क उनके वाद व प्रतिवाद पत्रानुसार ही रहे। मैने पत्रावली का अवलोकन कर मनन करने पर प्रकरण में कायम तनकियात को निम्न प्रकार निर्णित किया जाता है।

तनकी 1 आया वादी मौजा केसरपुरा (खुटिया) में ख0 न0 535 रक्बा 10–07–00 बीड की भूमि आवंटन से भालू पुत्र सूरजमल के नाम दर्ज चली आ रही खातेदारी को रामदेव पुत्र सूरजमल के नाम खातेदारी/इन्द्राज दुरूस्ती कराने का अधिकारी है।

इसको सिद्ध करने का भार वादी पर रहा है। इसको सिद्ध करने के लिए प्रदर्श 1 ग्राम केसरपुरा की जमाबंदी संवत् 2065 से 68 के खाता संख्या 214 की जमाबंदी की प्रति पेश की है जिसमें ख0 न0 535 भालू वल्द सूरजमल की गैरखातेदारी में दर्ज है। प्रदर्श 2 ग्राम पंचायत बाडी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र है जिसमें प्रमाणित किया गया है कि ग्राम केसरपुरा में भालू पुत्र सूरजमल नाम का कोई व्यक्ति नही है। वादी

रामदेव का घरेलू नाम सूरजमल है और इसका रेकार्डेड नाम रामदेव वल्द सूरजमल जाति गुर्जर है। प्रदर्श 3 बालू वल्द रूघुनाथ दरोगा एवं उगमा वल्द हरदेव गुर्जर दोनों निवासी ग्राम केसरपुरा के शपथ पत्र है जिनमें सशपथ कथन किया गया है कि रामदेव का घरेलु नाम भालू है जब कि वास्तविक नाम रामदेव वल्द सूरजमल गुर्जर है। इसके अलावा परिवार राशनकार्ड में रामदेव पिता का नाम सूरजमल वोटर आई डी में रामदेव पिता का नाम सूरजमल रामदेव द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भी यही कथन किये हैं। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 17.04.2013 को बनाये गये मौके पर्चे में भी रामदेव वल्द सूरजमल गुर्जर एवं भालू वल्द सूरजमल गुर्जर एक ही व्यक्ति होने की पुष्टी मोतबिरान द्वारा किया जाना बताया है इस संबध में ध्यान पूर्वक मनन करने पर मैने पाया कि प्रायः आम बोल चाल की भाषा में बोले जाने वाले नाम से संबधित व्यक्ति द्वारा आवेदन कर दिया जाता है इसी प्रकार वादी द्वारा भी आवंटन आवेदन में बोल चाल की भाषा में बोले जाने वाले भालू नाम से आवेदन कर दिया होगा इसलिए प्रतिवाद पत्र के कथन मान्य नही है क्यों कि वादी को इस भूल के कारण सरकारी सभी सुविधाओं से वंचित होना पड रहा है। सभी दस्तावेजी साक्ष्यों से तनकी वादी के पक्ष में तय पाई जाती है।

तनकी 2 आया वादी अप्रार्थीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है?

इसका भार भी वादी पर रहा है उसने इस बाबत् ज्यादा कोई कथन नही किये है और ना ही प्रतिवादीगण द्वारा उसे बेदखल करने संबधी नोटिस आदि पेश किये है फिर भी उसकी आंशका को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिवादीगण को विवादित आराजी में वादी के चले आ रहे कब्जे काश्त में दखलदांजी से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा निषेध किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

तनकी 3 आया प्रतिवादीगण अपने जवाब दावा में वर्णित कारणों के आधार पर वाद खारिज कराने का अधिकारी है?

इसका भार प्रतिवादीगण पर रहा है जिस बाबत् निर्णय तनकी संख्या 1 को तय करने में कर दिया गया है उनके प्रतिवाद कथन मात्र से वाद खारिज नही किया जा सकता। तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण बहक वादी तय कि जाती है।

4 अनुतोष?

वादी अपने वाद पत्र पर अपेक्षित अनुतोष का अधिकारी पाया जाता है अतः वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम केसरपुरा पटवार क्षेत्र खुंटिया तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी ख0 न0 535 रक्बा 10–07–00 बीघा में भालू वल्द सूरजमल गुर्जर के स्थान पर रामदेव वल्द सूरजमल गुर्जर दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है तथा अन्य अनुतोष में वादी को विवादित आराजी में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। एवं प्रतिवादीगण को वादी की इस आराजी में जरिये स्थाई निषेधाज्ञा दखलंदाजी से निषेध किया जाता है। तहसीलदार बिजयनगर पर आदेश पारित किये जाते है। कि विवादित आराजी जो केसरपुरा में स्थित है। उसकी कमाण्ड एवं पैराफेरी बाबत् जांच कर नियमानुसार शुल्क पर वादी को राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज करावें।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2017 को सरे इजलास अदालत में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.03 17:22:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: